**भारत सरकार**

**पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय**

**राज्‍य सभा**

**अतारांकित प्रश्‍न सं0 595**

**दिनांक 26 जून, 2019**

**प्राकृतिक गैस को जीएसटी के दायरे में लाया जाना**

**595. श्री संजय सिंहः**

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क): क्या सरकार प्राकृतिक गैस को जीएसटी के दायरे में लाने की योजना बना रही है;

(ख): यदि हां, जो इसके क्या कारण हैं, और सरकार द्वारा यह योजना पहले क्यों नहीं बनायी गयी; और

(ग): यदि हां, तो प्राकृतिक गैस को कौन सी जीएसटी स्लैब दर, के अन्तर्गत रखा जाएगा और इसके क्या कारण हैं?

**उत्तर**

**पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री**

**(श्री धर्मेन्द्र प्रधान)**

(क)  से (ग): संविधान के अनुच्‍छेद 279 ए (5) में यह व्‍यवस्‍था की गई है कि माल और सेवा कर परिषद उस ता‍रीख की सिफारिश करेगी जिससे पेट्रोलियम क्रूड, हाई स्‍पीड डीजल, मोटर स्पिरिट, प्राकृतिक गैस और एविएशन टरबाइन ईंधन पर माल और सेवा कर की उगाही की जाएगी। इस प्रकार, जहां पेट्रोलियम उत्‍पाद संवैधानिक रूप से माल और सेवा कर के दायरे में शामिल हैं, वहीं वह ता‍रीख, जिससे ऐसे उत्‍पादों पर जीएसटी की उगाही की जाएगी, माल और सेवा कर परिषद के निर्णय के अनुसार होगी। सीजीएसटी अधिनियम की धारा 9(2) के अनुसार, पेट्रोल और डीजल सहित जीएसटी से बाहर रखे गए सभी पेट्रोलियम उत्‍पादों को जीएसटी में शामिल करने के लिए जीएसटी परिषद की सिफारिश अपेक्षित होगी।

\*\*\*\*\*